केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोषित नर्मदा नदी की बायो मॉनीटरिंग का कार्य बोर्ड द्वारा वर्ष २००९–१०, २०१०–११ में राशि रूपये २२.५० लाख की लागत से किया गया। जिस पर रिपोर्ट प्रकाशित कर वितरित की गई। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक दल द्वारा ३० बिन्दुओं पर फिजियो केमिकल एवं बायो मॉनीटरिंग का कार्य किया गया जिसमें मेक्रो इनवरटी ब्रेट की प्रजातियाँ को चिन्हित किया गया। बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में निष्कर्ष क्वालिटी इन्डेक्स के रूप में दिया गया है जिसमें नदी जल की गुणवत्ता ए से डी श्रेणी के अन्तर्गत पाई गई। नदी में ई केटेगरी अर्थात अत्यधिक प्रदूषण नहीं पाया गया तथापि मोडरेट पोल्यूशन की स्थिति पाई गई।

नर्मदा वेली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा हाल ही में नर्मदा नदी की बायो मॉनीटरिंग के लिये स्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित संस्थाओं से टेण्डर मंगाये गये हैं। ऐसी चिन्हित संस्था के माध्यम से नर्मदा नदी की बायो मॉनीटरिंग कर जल गुणवत्ता पर सतत् निगरानी की व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

तृतीय प्रयास

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वयं के बजट से वर्ष २०११–१२ में राशि रूपये ६.०० लाख बोर्ड के नर्मदा नदी से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों क्रमशः शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, धार एवं उज्जैन को आवंटित किये गये। इस राशि से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन–जागृति हेतु नदी तट पर होर्डिंग, वाल रायटिंग, ब्रोशर इत्यादि के माध्यम से नदी के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित जानकारी व नदी को प्रदूषित करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी प्रचारित की गई। अभी तक अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके

नगर घाट पर सीढ़ी के पास दिवार पर प्रदर्शित संदेश

ओंकारेश्वर घाट पर वाल रायटिंग

अधिकार क्षेत्र में आने वाले घाटों पर ऐसी व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। कुछ कार्यशेष है जो ३१ मार्च २०१२ तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

चतुर्थ प्रयास

बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा अमरकंटक, मण्डला, भेडाघाट, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर आदि में विशेष पर्वों के दौरान जन–जागृति के लिये स्वयं के बजट से प्रदर्शिनी, प्रचार हेतु साहित्य वितरण के साथ–साथ नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का मापन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को मीडिया के माध्यम से जन–सामान्य तक पहुंचाने हेतु भी बोर्ड प्रयोसरत है।

पंचम प्रयास

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड के नर्मदा नदी से संबंधित सभी क्षेत्रीय अधिकारियों क्रमशः शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन को निर्देश दिये गये हैं कि वे उनके क्षेत्र के अन्तर्गत नर्मदा नदी के तटीय शहरों, गावों, उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल के संबंध में जानकारी एकत्र कर पृथक–पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिनमें जनसंख्या, सीवेज की मात्रा, त्यौहारों के आयोजन कर्मकाण्ड, पूजा निरमाल्य, मूर्ती विसर्जन, नदी में मिलने वाले नालों की संख्या आदि का विवरण शामिल हो । अभी तक अमरकंटक, डिण्डौरी, जबलपुर, बरमानघाट, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर आदि से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार की गई हैं जिसकी समीक्षा उपरांत सम्पूर्ण नदी की एकीकृत रिपोर्ट में समायोजन किया जा सकेगा ।

षष्टम प्रयास

अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के गठित दल द्वारा मार्च २०११ से मार्च २०१२ के मध्य नर्मदा नदी के सभी महत्वपूर्ण घाटों का अमरकंटक से लेकर खलघाट तक एकाधिक बार निरीक्षण / सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जिला कलेक्टर, नगरीय निकाय, विषय विशेषज्ञ, सम्माननीय जन प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन व संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घाट व नर्मदा नदी की स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया । किये गये निरीक्षणों व सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण नर्मदा तट के किनारे बसे शहरों, ग्रामों व महत्वपूर्ण घाटों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार है :

नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा अमरकंटक का दिनांक २७.१२.२०११ एवं ७ फरवरी २०१२ को निरीक्षण एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

मुख्य नगर पंचायत अमरकंटक के प्रतिनिधि द्वारा बताया कि अमरकंटक की वर्तमान जनसंख्या लगभग ७०७४ है तथा निस्राव की मात्रा ०.८४८ एमएलडी है । नगरीय निकाय द्वारा सीवेज के उपचार हेतु राशि रूपये ५.६ करोड़ की योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित की गई है जिसपर विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है ।

कपिलधारा अमरकंटक

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेष प्रयासों से कल्याण आश्रम द्वारा न केवल स्कूल के सीवेज को उपचार कर वृक्षारोपण में उपयोग करने की योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है वरन् उनके कल्याण आश्रम से निकलने वाले सीवेज को भी उक्त योजना में

शामिल किया गया है । यह योजना लगभग २ माह में पूर्ण होने की संभावना है ।

अमरकंटक के अन्य आश्रमों द्वारा भी अपने सीवेज के उपचार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है ।

डिण्डौरी :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा डिण्डौरी का दिनांक १९.१०.२०११ को निरीक्षण किया गया ।

मुख्य नगर परिषद डिण्डौरी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नर्मदा नदी नगर में ३.५ किलोमीटर लम्बाई में बहती है जिसमें ७ नालों के माध्यम से नगरीय दूषित जल नदी में मिलता है । नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग १२००० है तथा निस्राव की मात्रा लगभग २ एमएलडी होती है । नगरीय निकाय द्वारा सीवेज के उपचार संबंधी योजना राशि रूपये १६.८८ करोड़ तैयार कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित की गई है जिसपर विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है ।

मुख्य नगर परिषद अधिकारी डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा घाटों की नियमित सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ।

मण्डला :

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधिकारियों द्वारा मण्डला का निरीक्षण किया गया ।

मण्डला की कुल जनसंख्या लगभग ४५००० है तथा निस्राव की मात्रा लगभग ५ एमएलडी है । नगरीय निकाय द्वारा सीवेज के उपचार हेतु योजना तैयार की जा रही है जिसे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

जबलपुर :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा जबलपुर का क्रमशः दिनांक ११ अगस्त १८ अक्टूबर २०११ एवं दिनांक २.२.२०१२ को निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय नगरीय निकाय, नगर निगम जबलपुर, नगर पंचायत भेडाघाट, जन प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञों के साथ–साथ स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई ।

जबलपुर में राज्यस्तरीय बैठक

जबलपुर में शाह नाले के माध्यम से १५० किलोलीटर दिन एवं खंदारी नाले के माध्यम से २०००० किलोलीटर दिन घरेलू निस्राव ग्वारीघाट से तिलवाराघाट के बीच नगरीय दूषित जल नर्मदा नदी में मिलता है। नगरीय निस्राव के उपचार हेतु नगर निगम जबलपुर द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण संबंधी कार्यवाही कराई जा रही है जिसमें शाह नाला के नगरीय दूषित जल के उपचार हेतु अप्रैल २०१२ तक उपचार संयंत्र

का निर्माण पूर्ण कर लिया जावेगा व रखंदारी वाले के उपचार संयंत्र निर्माण में लगभग २ वर्ष का समय लगेगा ।

जबलपुर में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अभी तक किये गये कार्य:

नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत् राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनान्तर्गत नर्मदा नदी शुद्धिकरण योजना में जबलपुर शहर शामिल था। जिसके अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, ग्वारीघाट, सरस्वती घाट में घाटों का निर्माण कार्य कराया गया । नगर निगम जबलपुर द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शवदाह गृह का निर्माण एवं वन विभाग द्वारा भेड़ाघाट, ग्वारीघाट तथा धुंआधार क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया ।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र शासन से कुल रू. १३१.४०९ लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । बोर्ड द्वारा क्रियान्वयन विभागों को रू० १२०.९१४ लाख की राशि आवंटित की गई जिसके तहत विभागों द्वारा रू० ११५.००४ लाख की राशि व्यय की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क	योजना का नाम	क्रियान्वयन विभाग	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	क्रियान्वयन विभाग द्वारा व्यय
1	नदी तटाग्र विकास	जल संसाधन विभाग	44.00	42.25	42.25
2	शवदाह गृह	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	03.219	02.824	02.824
3	अल्प लागत स्वच्छता (सुलभ शौचालय का निर्माण)	नगर निगम जबलपुर	66.73	58.38	58.38
4	वनीकरण	वन विभाग	17.46	17.46	11.62
कुल			131.409	120.914	115.004

उक्त योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनके संचालन-संधारण का दायित्व नगर निगम जबलपुर को दिया गया है।

बरमानघाट नरसिंहपुर :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट का दिनांक ६ मार्च २०१२ को किया गया । समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान घाटों पर कपड़े धोने एवं वाहनों को धोने संबंधी गतिविधियों का होना पाया गया । इस संबंध में बरमान ग्राम के सरपंच को उक्त गतिविधियों से रोक लगाने के निर्देश दिये गये व साथ ही घाट के किनारे बने सुलभ शौचालय के सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट को घाट से दूर करने के निर्देश दिये गये ।

होशंगाबाद :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा होशंगाबाद का दिनांक २ जुलाई २०११ एवं दिनांक २ जनवरी २०१२ को निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण के दौरान घाटों पर पूजा निरमाल्य, एवं साबुन के उपयोग संबंधी गतिविधियाँ देखी गई, नगर पालिका परिषद होशंगाबाद को निर्देश देकर उक्त गतिविधियों पर रोक लगाने व घाटों की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

कोरीघाट में होशंगाबाद शहर के सीवेज का नाला सीधा नर्मदा नदी में मिलता है जिसे रोकने के लिये सम्पवैल एवं पम्पहाउस की स्थापना कर सीवेज को नर्मदा में जाने से रोका जाता है जिसे नर्मदा नदी के तट से दूर डायवर्ट किये जाने की व्यवस्था है ।

निरीक्षण दिवस २ जुलाई को नाले का बहाव नर्मदा नदी में देखा गया जिसे तत्काल रूकवाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस जारी किया गया।

दिनांक २ जनवरी २०१२ को बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल उद्योग का निरीक्षण किया गया उद्योग का उपचारित निस्राव नदी में मिलने से रोकने संबंधी समयबद्ध कार्ययोजना ६ माह में लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

होशंगाबाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित योजनायें:

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिये वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन ने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया है। एप्को द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के संबंध में प्रस्तावित एवं एप्को के स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जुलाई २००७ में नर्मदा नदी, होशंगाबाद के संरक्षण एवं उन्नयन की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना में कोर घटक के अन्तर्गत जल-मल निकासी तंत्र, तथा नान कोर घटक के अन्तर्गत कम लागत की स्वच्छता (सुलभ शौचालय), शवदाह, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, जन जागरूकता अभियन इत्यादि शामिल हैं। इस परियोजना के कार्य की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:

- परियोजना की कुल स्वीकृत लागत रू० १२.९० करोड़ है जिसमें ७० प्रतिशत केन्द्रांश, २० प्रतिशत राज्यांश तथा १० प्रतिशत नगरीय निकाय अंश है। परियोजना हेतु केन्द्रांश रू० ५३०.०० लाख तथा राज्यांश रू० २५१.८१ लाख प्राप्त हो चुके है।
- **नान कोर घटक के कार्य–** राजघाट एवं व्यू प्वाइन्ट का निर्माण, कम लागत की स्वच्छता (सुलभ शौचालय) का निर्माण, जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण, फैंसिंग, मृदा संरक्षण का कार्य तथा जल जागरूकता अभियान के कार्य किये जा चुके हैं, जिसके अन्तगत रू० २३०.०० लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। यह कार्य क्रियान्वयनकारी संस्था नगर पालिका होशंगाबाद द्वारा किया गया है।

कोर घटक के कार्य– कोर घटक के लिये लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को क्रियान्वयनकारी संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। परियोजना के कोर घटक (नाला डाइवर्सन तथा एस.टी.पी. निर्माण) का पुनरीक्षित प्रस्ताव (scope of work को कम करते हुये) भारत सरकार को अगस्त २०११ में भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रयास किये जा रहे है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में २ नालों का डायवर्सन तथा ४ एमएलडी के एसटीपी का कार्य किया जाना है जिसकी पुनरीक्षित लागत लगभग ४ करोड़ है।

बुधनी :

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक २ जनवरी २०१२ को मैसर्स ट्राईडेंट नामक उद्योग का निरीक्षण किया गया। उद्योग के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले में उद्योग के निस्राव के किसी दुर्घटना के समय मिलने से रोकने हेतु उद्योग को नाले से निस्राव को वापस पंप करने संबंधी व्यवस्था स्थापित करने व उद्योग के निस्राव के संग्रहण हेतु ७ दिन तक की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इटारसी :

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा दिनांक २ जनवरी २०१२ को नर्मदा नदी में मिलने वाले नाले के किनारे स्थापित मैसर्स

ऑरडीनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण किया तथा उद्योग को उपचारित त्रिसाव को स्वयं के परिसर में पूर्ण उपयोग करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं ।

ओंकारेश्वर :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा १९ मार्च, ५ मई, १९ मई २०११ एवं ५ मार्च २०१२ ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया गया एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

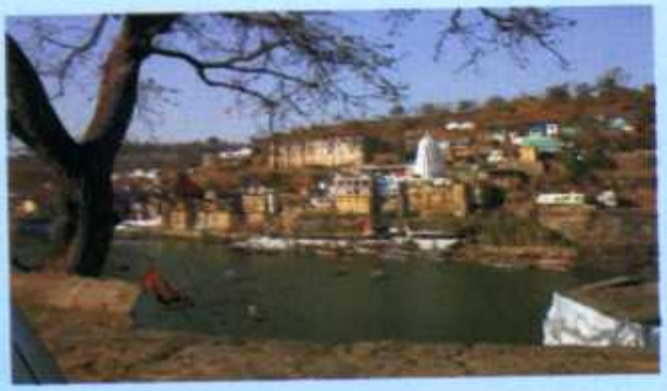

मुख्य नगर पालिका अधिकार ओंकारेश्वर द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत द्वारा राशि रूपये ४६६.१० लाख की सीवेज उपचार संबंधी योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित की गई है । घाटों पर नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा घाटों पर नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी संदेश बाल रायटिंग के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं ।

ओं कारेश्वर मंदिर से लक्ष्मण झूले की ओर जाने वाले पुल की दिवालो पर प्रदर्शित संदेश

महेश्वर :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा दिनांक ५ मार्च २०१२ ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया गया एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा घाटों पर नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी संदेश बाल रायटिंग के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं ।

मण्डलेश्वर :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा दिनांक ५ मार्च २०१२ ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया गया एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा घाटों पर नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी संदेश बाल रायटिंग के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं ।

रामघाट :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा दिनांक ५ मार्च २०१२ ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया गया एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा घाटों पर नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी संदेश बाल रायटिंग के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं ।

धरमपुरी :

बोर्ड की नर्मदा शमन समिति द्वारा दिनांक ५ मार्च २०१२ ओंकारेश्वर का निरीक्षण किया गया एवं बैठकों का आयोजन किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा घाटों पर नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी संदेश वाल रायटिंग के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं ।

नर्मदा प्रदूषण शमन समिति का मानना है कि सबसे अधिक प्रदूषण धरमपुरी के घाट में पाया गया जहां घाटों का पक्कीकरण, पास की बसाहट से नगरीय अपशिष्ठ व प्लास्टिक का नदी में वृहद मात्रा में फैंके जाना व नर्मदा की सहायक नदी खुज का लगभग सीवर के रूप में बनकर नदी में मिलना आदि ऐसी समस्या है जिनके निराकरण के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्दर प्रयास कर नदी सफाई योजना के उन सभी अवयवों को लेना होगा जो इस योजना के अन्तर्गत अन्य नदियों के लिये जा रहे हैं ।

विशिष्ठ उपलब्धियाँ

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी तक अनेकों प्रयास किये हैं जिसके अन्तर्गत नदी के प्रदूषण नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अनेक उपलब्धियाँ हुई हैं इनमें से कुछ विशिष्ठ उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :—

१ नर्मदा तट पर बने सभी जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योग द्वारा आवश्यक उपचार उपरांत निस्राव स्वयं के परिसर में उपयोग किया जा रहा है। केवल एक उद्योग मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल का निस्राव उपचार उपरांत नदी में मिल रहा था उन्हें उद्योग बन्द करने के नोटिस देने के उपरांत राशि रूपये ५० लाख की बैंक गारन्टी के साथ सम्पूर्ण निस्राव ६ माह में स्वयं के परिसर में उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं ।

२ अमरकंटक में नर्मदा के बेड पर कल्याण आश्रम द्वारा बनाये गये लगभग १००० छात्रों के स्कूल व छात्रावास से सीवेज के सीधे नर्मदा नदी में जाने को रोकने के लिये पूर्व में किये गये शासकीय प्रयासों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का स्थन आदेश था । म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेष प्रयासों से कल्याण आश्रम द्वारा न केवल स्कूल के सीवेज को उपचार कर वृक्षारोपण में उपयोग करने की योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है वरन् उनके कल्याण आश्रम से निकलने वाले सीवेज को भी उक्त योजना में शामिल किया गया है । यह योजना लगभग २ माह में पूर्ण होने की संभावना है । इसी क्रम में अमरकंटक के अन्य आश्रमों द्वारा भी अपने सीवेज के उपचार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है।

३ अमरकंटक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा राशि रूपये ५.६ करोड़ की सीवेज कलेक्शन एवं उपचार की योजना नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है ।

४ डिण्डोरी के मुख्य नगर पालिका द्वारा गन्दा जल–मल शोधन की राशि रूपये १६.८८ करोड़ योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ कराया गया।

५ बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के मैसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन

सारणी, मैसर्स ऑर्डीनेंस फैक्ट्री इटारसी, मैसर्स ट्राईडेन्ट लि० बुधनी, मैसर्स वर्द्धमान यार्न बुधनी, मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टलरी, बडवाहा, मैसर्स अग्रवाल डिस्टलरी, ग्राम खोडी, मैसर्स सेन्चुरी टेक्सटाईलस एवं मैसर्स मराल ओवरसीज लि० को उपचारित निस्राव के परिसर में पूर्ण उपयोग करवाया जा रहा है।

६ सुझाव है कि म.प्र.शासन के स्तर पर प्रदेश की ऐसी नदी जिसका केचमेंट म. प्र. के लगभग आधे जिलों अर्थात २५ जिलों में फैला है जिसकी पूरी लम्बाई का ८० प्रतिशत भाग म.प्र. से गुजरता है जो म.प्र. के लगभग १ लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित कर रही है, की प्रदूषण मुक्ति के लिये योजना बनाने के लिये बजट निर्धारित किया जाये।

७ नदी के संरक्षण हेतु योजना आउट सोर्सिंग के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय तकनीकी/वैज्ञानिक विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार की जाये जिसके डीपीआर के लिये पृथक से बजट स्वीकृत कराया जावे। योजना को डीपीआर की अनुशंसाओं के आधार पर समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाये।

८ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं प्रारम्भिक सर्वेक्षण उपरांत निम्न नगरीय निकायों अमरकंटक, डण्डौरी, मंडला, बरगी, जबलपुर, गोटेगांव, गाडरवारा, पिपरिया, नरसिंगपुर, बाबई, होशंगाबाद, करेली बरमानघाट, हरदा, बडवाहा, बड़वानी, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर से उत्पन्न नगरीय दूषित जल मल के अपवहन संबंधी योजनायें बनाकर संबंधित नगरीय निकायों से लागू करवाया जाये।

पत्रिका
जबलपुर, बुधवार
19.10.2011

जंबलपुर

नर्मदा नदी के पास बसाहट रोकें

■ प्रदूषण बढ़ाने वाला विकास मंजूर नहीं, नर्मदा नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर राज्य स्तरीय बैठक

[illegible]

बैठक: कार्यक्रम में निगमायुक्त एनबीएस राजपूत, डॉ. एसपी शुक्ला और आरके श्रीवास्तव। -पत्रिका

'पत्रिका' की पहल को सराहा

[illegible]

प्रबंधन सही हो तो कचरा भी उपयोगी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला

[illegible]

POLLUTION CONTROL
BOARD
MADHYA PRADESH
BHOPAL

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड